158

समक्ष श्रीमान सदस्य महोदय मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प सागर

निग/3511-II-15

नि.या.क्र.   ता0पेशी

B.O.R.
29 OCT 2015

श्रीमति कल्लो बाई पुत्री कमोदा सौर ॥ पत्नि मोना सौर ॥
निवासी ग्राम खारा तह0 घुवारा जिला छतरपुर म0 प्र0

—— निगरानीकर्ता

॥ विरुद्ध ॥

सुखदीन पिता रंजोर काछी,
निवासी ग्राम खारा तह0 घुवारा जिला छतरपुर म0 प्र0

—— प्रति निगरानीकर्ता

निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 50, म0 प्र0 भू0 रा0 सं0 अधिनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा अपील प्रकरण क्रमांक 522/अ-6/ 13-14 में पारित आदेश दिनांक 14-10-2015 के विरुद्ध

निगरानीकर्ता निम्नांकित निगरानी याचिका प्रस्तुत कर विनय करती है-

॥1॥ यह कि अधिनस्थ न्यायालय आदेश दि एवं आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होने के दिनांक से अवधि निगरानी याचिका समय अवधि में प्रस्तुत की जा रही है । आदेश की मूल प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है ।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

॥2॥ यह कि ग्राम टिकरीया तह. घुवारा स्थित भूमि खसरा नं. 688/1, रकबा 0.938 का मालिक एवं भूमि काबिज दार निगरानी कर्ता का दादा रंजोर सौर बल्द कोस्यो सौर था, जिसकी मृत्यु के पश्चात यह भूमि निगरानीकर्ता के नाम रंजोर की एक मात्र वैध उत्तराधिकारी होने के नाते दर्ज हुआ था ।

॥3॥ यह कि उक्त भूमिपर निगरानीकर्ता के दादा रंजोर सौर खेती करते रहे, एवं उनकी मृत्यु के पश्चात निगरानी कर्ता का भूमि पर लगातार कब्जा चला आ रहा है ।

1/2/1

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. R. 3577/II/15 जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9-3-16	यह निगरानी अपर आयुक्त सागर के प्र० क्रमांक 522/अ-6/13-14 में पारित आदेश दिनांक 14-10-15 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता श्री अशोक कुमार जैन द्वारा अपने तर्कों में निगरानी मेमो के संलग्न अभिलेख एवं निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों के आधार पर निर्णय लेने का निवेदन किया गया। मेरे द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 14-10-15 का परीक्षण किया गया। परीक्षण करने पर पाया गया कि अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश दिनांक 14-10-15 के अंतिम पैरा में विस्तृत एवं तर्क संगत निष्कर्ष अभिलिखित करते हुए स्पष्ट एवं बोलता हुआ आदेश पारित किया गया है। इसके साथ ही आवेदक अधिवक्ता द्वारा ऐसा कोई तात्विक आधार प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उनके द्वारा निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों की पुष्टि होती तथा अपर आयुक्त के निष्कर्षों का खण्डन होता। अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रकरण में ग्राह्यता का पर्याप्त एवं समुचित आधार न होने से यह निगरानी प्रकरण	

[कृ. प. उ.

R. 35 F/11/15 इन्तरयूट

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
कल्लो	मुलवीप	
	इसी स्थाय अग्राह्य किया जाता है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दाo रिo हो।	
	सदस्य	

शाक्षेमुग्वा—321—फॉर्म्स—21-9-2012—10,000.